उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की 19वीं वित्त समिति की बैठक
दिनांक 19.03.2025 का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की 19वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.03.2025 को पूर्वान्ह 11:30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नवत पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. प्रोफेसर ओमप्रकाश सिंह नेगी कुलपति उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	अध्यक्ष
2. श्री सत्य प्रकाश सिंह संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन)।	सदस्य
3. श्री बच्ची राम आर्य वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड (प्रतिनिधि सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन)।	सदस्य
4. श्री आर0सी0 बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज (सदस्य कार्यपरिषद)।	सदस्य
5. श्री सूर्य प्रताप सिंह वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य सचिव
6. डॉ0 खेमराज भट्ट कुलसचिव उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	आमंत्रित सदस्य
7. श्री अभिषेक कुमार वाजपेयी सहायक कुलसचिव उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	आमंत्रित सदस्य

सर्वप्रथम सचिव, वित्त समिति द्वारा बैठक प्रारम्भ करने के लिए अध्यक्ष महोदय (कुलपति जी) की अनुमति उपरान्त समिति में उपस्थित सभी सदस्यों का परिचय के साथ स्वागत किया गया। सचिव, वित्त समिति के द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक क्रिया–कलापों एवं अन्य संगत गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। तत्पश्चात 19वीं बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के साथ ही वित्त समिति के सम्मुख प्रस्तुत कार्य सूची के अनुसार 16 प्रस्तावों पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त अधोलिखित निर्णय लिये गये।

मद संख्या 19.01– वित्त समिति की 18वीं बैठक, दिनांक 21.08.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 21.08.2024 को संपन्न वित्त समिति की 18वीं बैठक का कार्यवृत्त समिति के सदस्यों को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–UOU/Fin/2024–25/668(1) दिनांक–09.09.2024, UOU/Fin/2024–25/668(2), दिनांक–09.09.2024 एवं पत्र संख्या–UOU/Fin/2024–25/668(3), दिनांक–09.09.2024 के द्वारा प्रेषित किया गया था, जिस पर प्रतिनिधि सचिव, वित द्वारा कार्यवृत्त के मद संख्या–18.09 में संशोधन दिया गया था, जिसके अनुसार कार्यवृत्त में आवश्यक संशोधन कर कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

अतः उक्त का विचार करते हुए वित्त समिति की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि किये जाने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णयः– *समिति ने सर्वसम्मति से 18वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर यथावत अनुमोदन दिया।*

मद संख्या 19.02–वित्त समिति की 18वीं बैठक, दिनांक 21.08.2024 में पारित निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

वित्त समिति का अनुमोदन	कृत कार्यवाही की सूचना
18.01– वित्त समिति की 17वीं बैठक, दिनांक 04.03.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि हो चुकी है।
18.02– वित्त समिति की 17वी बैठक, दिनांक 04.03.2024 में पारित निर्णयों पर कृत कार्यवाही। ● मद संख्या 17.02 का बिन्दु संख्या 16:10 (बाह्य श्रमिकों के पारिश्रमिक का निर्धारण) ● मद संख्या 17.02 का बिन्दु संख्या 16:11 (अधिकारियों के वाहन उपयोग चार्ज) ● मद संख्या 17.06 (आई0बी0एम0 ब्लेड सर्वर की निष्प्रयोज्य नीति) ● मद संख्या–17.18 (क) श्री राहुल बिष्ट के चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान।	कार्यवाही गतिमान। अनुपालन किया जा रहा है। प्रक्रियाधीन।
18.03– वित्तीय वर्ष 2023–24 का वास्तविक आय–व्यय विवरण	पुष्टि हो चुकी है।
18.04– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–2025 का पुनरीक्षित आय–व्यय विवरण।	कार्यवाही पूर्ण।
18.05– गतिमान वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु 17वीं वित्त समिति में निर्धारित आय–व्यक पर पुनर्विचार।	कार्यवाही पूर्ण।
18.06– इग्नू, नई दिल्ली द्वारा विनियमित स्वयंप्रभा/स्वयं चैनल प्रोजेक्ट्स के तहत प्राप्त अनुदान धनराशि का वितरण।	कार्यवाही पूर्ण।
18.07– वित्त विभाग (अनुभाग–7), उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 18/XXVII(7)/18-50(14)/2017, दिनांक 23.01.2019 के द्वारा लागू यात्रा स्थानान्तरण नियमों व दरों का विश्वविद्यालय में अंगीकरण।	प्रकरण पर पुनर्विचार हेतु कार्यसूची में सम्मिलित किया गया है।

Finance Controller
Uttarakhand Open University

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

18.08– विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों एवं परीक्षा शुल्क के निर्धारण हेतु गठित शुल्क निर्धारण समिति की बैठक, दिनांक 26.02.2024 के कार्यवृत्त पर अनुमोदन।	कार्यवाही पूर्ण।
18.09–मा0 कुलपति जी हेतु नवीन शासकीय वाहन क्रय करने पर निर्णय।	कार्यवाही पूर्ण।
18.10– योजना बोर्ड की षष्ट्म बैठक, दिनांक 06.09.2023 एवं कार्यपरिषद की 38वीं बैठक, दिनांक 04.11.2023 के अनुमोदन के क्रम में योजना बोर्ड के पारित मद संख्या 06:09 पर विचार।	कार्यवाही पूर्ण।
18.11– योजना बोर्ड की सप्तम बैठक, दिनांक 27.07.2024 में पारित मदों पर विचार।	कार्यवाही पूर्ण।
18.12– विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिव्यांग पुरूष शिक्षार्थियों को शुल्क में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में विचार।	कार्यवाही पूर्ण।
18.13– विश्वविद्यालय में संचालित ऐसे कार्यक्रम, जिनका पूर्ण कार्यक्रम शुल्क प्रत्येक वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में रूपये 10000 मात्र (दस हजार) अथवा उससे अधिक हो, उन सभी कार्यक्रमों के कार्यक्रम शुल्क को शैक्षणिक सत्र 2024–2025 से सेमेस्टर वार समान रूप से विभाजित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।	कार्यवाही पूर्ण।
18.14– विश्वविद्यालय के निर्धारित अध्ययन केन्द्रों को दिये जा रहे पाठ्यक्रम शुल्क का पांच प्रतिशत ओवरहेड चार्जेज के व्यय हेतु नीति–निर्धारण।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
18.15– विश्वविद्यालय में नियुक्त लोकपाल के मानदेय निर्धारण के संबंध में निर्णय।	कार्यवाही पूर्ण
18.16– कोरोनाकाल वर्ष (2020–21 एवं 2021–22) के दौरान अध्ययन सामग्री मुद्रकों के रोके गये 10 प्रतिशत धनराशि के भुगतान पर पुनर्विचार एवं अनुमोदन।	कार्यवाही पूर्ण।
18.17– कार्यपरिषद की 27वीं बैठक, दिनांक 12.02.2020 में पारित मद संख्या 27:14:03 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश प्रक्रिया में लिये जा रहे प्रवेश शुल्क में छूट दिये जाने पर पुनर्विचार/संशोधन।	कार्यवाही पूर्ण
18.18– विश्वविद्यालय मुख्यालय के परिसर में प्रशासकीय अधिकारियों–कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक हेतु टाईप–5 आवासीय भवनों का निर्माण एवं पूर्व से निर्मित वाहन पार्किंग को विश्वविद्यालय के पार्श्व क्षेत्र में स्थापित किये जाने पर निर्णय।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
18.19– परीक्षा समिति की 18वीं बैठक, दिनांक 14.08.2024 में पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों पर विचार।	कार्य पूर्ण।
18.20– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।	
(क) निदेशक, एम0पी0डी0डी0 द्वारा एम0पी0डी0डी0 भवन से लगी बाउण्ड्री वॉल ऊँची करने, भवन के समीप शौचालय निर्माण, पेयजल हेतु पाईप लाईन एवं टैंक व्यवस्था, भवन में पुस्तकों के रखरखाव हेतु डुप्लेक्स 100 रैकों का निर्माण, भवन की फॉल्स सीलिंग, भवन में रूफ टॉप एक्जास्ट फैन (12), खिड़कियों हेतु 06 फैन तथा फायर संयत्र (10) लगाये जाने के सम्बन्ध में कुल अनुमानित व्ययभार रूपये 43,64,200 मात्र का प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
(ख) असिस्टेंट प्रोफेसर (ए0सी0)/अकादमिक सलाहकारों के मानदेय वृद्धि अनुरोध दिनांक 19.07.2024 पर विचार।	कार्यवाही पूर्ण।
(ग) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना हेतु बजट की व्यवस्था किये जाने हेतु विचार।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निर्णयः– *सचिव, वित्त समिति द्वारा वित्त समिति की 18वीं बैठक, दिनांक 21.08.2024 में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्यवाही से समिति को अवगत कराया गया। समिति द्वारा कृत कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।*

Finance Controller
Uttarakhand Open University

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

मद संख्या 19.03— वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024—25 का पुनरीक्षित आय—व्यय विवरण।

आय विवरणः—

(क) कुल प्राप्तियां (राज्य सरकार)		
1	शासन की मद संख्या—05, वेतन मद में प्राप्त अनुदान	15,00,00,000
2	शासन की मद संख्या—08, पारिश्रमिक मद में प्राप्त अनुदान	1,73,00,000
3	शासन की मद संख्या—56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) मद में प्राप्त अनुदान	75,00,000
4	शासन की मद संख्या—55, पूंजीगत परिसम्पतियों का सृजन में प्राप्त अनुदान	00
राज्य सरकार में प्राप्त आय का योग— (1 + 2 + 3 + 4)		**17,48,00,000**
(ख) वर्ष 2024—2025 में यू0जी0सी0, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान		
1	वर्ष 2024—2025 में यू0जी0सी0, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान	1,00,00,000
यू0जी0सी0, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान प्राप्त अनुदान का योग का योग—		**1,00,00,000**
(ग) **UCOST / CEMCA/RCI Project** से प्राप्त आय		
01	UCOST / CEMCA/RCI Project से प्राप्त आय	11,87,000
UCOST / CEMCA/RCI Project से प्राप्त आय का योग		**11,87,000**
(घ) वर्ष 2024—2025 में स्वयं के स्त्रोतों से आय		
01	प्रवेश शुल्क से प्राप्त आय	38,63,98,034
02	ब्याज से प्राप्त आय	6,00,00,000
03	अन्य आय स्त्रोत	2,32,836
स्वयं के स्त्रोतों से प्राप्त आय का योग— (क्रमांक 1 + 02 + 03)		**44,66,30,870**
वित्तीय वर्ष 2024—2025 की कुल प्राप्तियां (क + ख + ग + घ)		**63,26,17,870**

व्यय विवरणः—

(क) कुल व्यय (राज्य सरकार के राजस्व मद में)		
1	शासन की मद संख्या—05, वेतन मद में व्यय	15,00,00,000
2	शासन की मद संख्या—08, पारिश्रमिक मद में व्यय	1,73,00,000
3	शासन की मद—56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में व्यय	75,00,000
राज्य सरकार से राजस्व मद में व्यय का योग— (1 + 2 + 3)		**17,48,00,000**
(ख) कुल व्यय (राज्य सरकार के पूंजीगत व वृहद निर्माण मद में)		
1	शासन की मद संख्या—55, पूंजीगत परिसम्पतियों का सृजन में व्यय	1,05,97,000
	राज्य सरकार से पूंजीगत मद में व्यय का योग—	**1,05,97,000**
राज्य सरकार से राजस्व, पूंजीगत व वृहद निर्माण मद में व्यय का कुल योग (क+ख)		**18,53,97,000**
(ग)	वर्ष 2024—2025 में शुल्कादि व अन्य आय के सापेक्ष व्यय	**25,78,86,700**
कुल व्यय (क + ख + ग)—		**44,32,83,700**

समिति को अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024—25 में शासन द्वारा अनुदान संख्या—11, मानक मद संख्या—05, वेतन भत्ते के रूप में सहायक अनुदान की प्राविधानित धनराशि रूपये 15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़) विश्वविद्यालय को दो किश्तों में प्राप्त हुई, परिणामस्वरूप नियमित कार्मिकों का वित्तीय वर्ष 2024—25 के

Finance Controller
Uttarakhand Open University

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

माह मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक का वेतन आवश्यकता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं के संसाधनों से प्राप्त आय में से वित्त समिति की अनुमति के अनुरूप आहरित किया गया है। शासन से द्वितीय किश्त धनराशि प्राप्त होने पर सुसंगत समायोजन कर लिया गया है। अद्यतन वेतन में किये गये व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

इसके अतिरिक्त पारिश्रमिक मद संख्या–08 के लिए अद्यतन विश्वविद्यालय संसाधनो से किये गये व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति, शासन से प्राप्त हुई अनुदान धनराशि रूपये 01.73 करोड़ (एक करोड़ तिहत्तर लाख) के सापेक्ष समायोजन सहित अनुमति हेतु प्रस्तुत है।

इसी प्रकार मद संख्या–56(सामान्य गैर वेतन), सहायक अनुदान के रूप में शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि रूपये 1.50 करोड़ (एक करोड़ पचास लाख) की प्रत्याशा में अद्यतन विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं के संसाधनों से किये गये व्यय रूपये 75.00 लाख (पचहत्तर लाख) का समायोजन शासन से प्रदत्त हुई अनुदान धनराशि रूपये 75.00 लाख (पचहत्तर लाख) के सापेक्ष प्रस्तुत है।

समिति के संज्ञान में लाना है कि वित्तीय वर्ष मार्च 2025 में समाप्त होने वाला है। अतः उक्त पूर्ण वित्तीय वर्ष का वास्तविक आय–व्यय विवरण आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्ताव अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– *समिति द्वारा प्रकरण का परीक्षण/विश्लेषण कर पुनरीक्षित आय–व्यय विवरण पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय निधि से आहरित की जा रही धनराशि को उक्त निर्धारित मदों में उत्तराखण्ड शासन से अनुदान प्राप्त होने तक अथवा अद्यतन प्राप्त हुई राशि के सापेक्ष किये गये व्यय को सुसंगत समायोजन के साथ यथावत अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया।*

मद संख्या 19:04– वित्तीय वर्ष 2025–2026 हेतु आय–व्ययक पर विचार।

वित्तीय वर्ष 2025–2026 का अनुमानित आय विवरण–

(क) राज्य सरकार से अनुदान		
1	शासन की मद संख्या–05, वेतन मद	17,00,00,000
2	शासन की मद संख्या–08, पारिश्रमिक मद	1,62,32,000
3	शासन की मद संख्या–56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	1,50,00,000
4	शासन की मद संख्या–55, पूंजीगत परिसम्पतियों का सृजन	23,45,15,800
राज्य सरकार से राजस्व मद में प्राप्त आय का योग– (1 + 2 + 3 + 4)		**43,57,47,800**
(ख) वर्ष 2025–2026 में यू0जी0सी0, नई दिल्ली से अनुमानित आय		
1	वर्ष 2025–2026 में यू0जी0सी0, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान	1,00,00,000
यू0जी0सी0, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान प्राप्त अनुदान का योग का योग–		**1,00,00,000**
(ग) **UCOST/CEMCA/RCI Project** से प्राप्त आय		
01	UCOST/CEMCA/RCI Project से प्राप्त आय	12,00,000

Finance Controller
Uttarakhand Open Univers...

कुलपति

UCOST / CEMCA/RCI Project से प्राप्त आय का योग		12,00,000
(घ) वर्ष 2025–2026 में स्वयं के आय स्त्रोतों से आय		
01	प्रवेश शुल्क से प्राप्त आय	40,00,00,000
02	ब्याज से प्राप्त आय	9,00,00,000
03	अन्य आय स्त्रोत	3,50,000
	स्वयं के आय स्त्रोतों से प्राप्त आय का योग– (क्रमांक 01 + 02 + 03)	49,03,50,000
	वित्तीय वर्ष 2025–2026 की कुल अनुमानित आय (क + ख + ग + घ)	93,72,97,800

वित्तीय वर्ष 2025–2026 का अनुमानित व्यय विवरण–

S.No.	Head	Proposed 2025-26
A	**Salary (05)**	**17,00,00,000**
B	**Capital Assets (55)**	**23,45,15,800**
C	**Remuneration (08)**	**1,62,32,000**
D	**Non-Salary Exp. (56)**	
1	Wages	1,50,000
2	Travelling Expenses	13,50,000
3	Remuneration for experts	2,00,000
4	Reimbursement of Medical Expenses	1,000
5	Training	5,00,000
6	Allowance Related Exp(Mobile/Laptop/Suitcase etc.	2,00,000
7	Stationery & Printing	12,00,000
8	Office Furniture & Equipments	1,00,00,000
9	Office Expenses	45,00,000
10	Rent and Taxes	10,00,000
S.No.	**Head**	**Proposed 2025-26**
11	Advertisement & Publishing	10,00,000
12	Electricty, Water, Telephone, Internet, Utility Bills	18,00,000
13	Computer Hardware, Software and Maintenance (ICT)	1,50,00,000
14	Professional Services	1,50,00,000
15	Staff Car Purchase	1,000
16	Vehicle Fuel & Maintenance	10,00,000
17	Hospitality	5,00,000
18	Machine and Equipments	30,00,000
19	Convocation, NAAC and Other Departmental Exp.	50,00,000
20	Construction and Maintenance	4,00,00,000
21	Land Purchase	1,000
22	Refund	1,000
23	Asst. Prof. (AC)/Admn and Tech. Con./Fixed Rem./Ext. Ser. Prov.	6,00,00,000
24	Fee Share to Study Centre	5,00,00,000

Finance Control...
Uttarakhand Open Univers...

कुलपति

25	Printing/ Book Purchase/Publishing (MPDD)	6,00,00,000
26	Student Support Service	50,00,000
27	Research/Innovation/Vocational Education	10,00,000
28	Library	50,00,000
29	Exam Expenses	12,20,00,000
30	Creche	5,00,000
31	EMPC and RADIO	5,00,000
32	Women Studies	1,00,000
33	School/Department All Expenses (List Enclosed)	6,70,30,664
	Total (D)	**47,25,34,664**
	Grant Total (A+B+C+D)	**89,32,82,464**

S.No. 33- School/Department All Expenses

BUDGET PROPOSAL ACADEMIC DEPARTMENT WISE 2025-26			
S.No.	**Name of School**	**Departments**	**Proposed**
1	**School of Humainites**	Department of English and Foreign language	10,00,000
		Department of Hindi and Modern Indian languages	6,00,000
		Department of Vedic and Jyotish Indian Karmkand	12,50,000
		Department of Music, Dance and Art Performance	6,90,000
		Department of Philosophy	-
		Department of Sanskrit and Prakrit languages	10,50,000
		Department of Urdu	16,00,000
		Total	**61,90,000**
S.No.	**Name of School**	**Departments**	**Proposed**
2	**School of Social Science**	Department of Economics	17,25,000
		Department of History	8,36,000
		Indian Knowledge System	23,84,000
		Department of Political Science	3,15,000
		Department of Psychology	10,38,250
		Department of Public Administration	4,61,000
		Department of Social Work	4,00,000
		Department of Sociology	11,90,000
		Department of Himalayan Studies	-
		Department of Gandhi Studies and Peace	-
		Total	**83,49,250**
3	**School of Management studies and Commerce**	Department of Management Studies	41,33,000
		Department of Commerce	
		Department of Human Values and ethics	-
		Total	**41,33,000**
4	**School of Science**	Department of Botany	49,50,000
		Department of Chemistry	51,00,000
		Department of Maths	13,00,000

Finance Controller

कुलपति

		Department of Physics	23,00,000
		Department of Zoology	41,00,000
		Total	**1,77,50,000**
5	**School of Computer Science**	Department of Computer Science	57,00,000
		Department of Information Technology	
		Total	**57,00,000**
6	**School of Voc. Studies**	Department of Vocational Studies	30,85,000
		Total	**30,85,000**
7	**School of Tourism, Hospitality and Hotel Managemet**	Department of Tourism and Hospitality	10,55,000
		Department of Hotel Management	
		Total	**10,55,000**
8	**School of Agriculture & Development Studies**	Department of Agriculture	4,00,000
		Department of Horticulture	
		Department of Development Studies	
		Total	**4,00,000**
S.No.	**Name of School**	**Departments**	**Proposed**
9	**School of Health Science**	Department of Ayurveda	18,10,000
		Department of Medical Science and Health Care	
		Department of Yog and Natrural Health	
		Department of Home Science	8,40,000
		Total	**26,50,000**
10	**School of Education**	Department of Education	18,50,000
		Department of Teacher Education	
		Department of Special Education	8,96,214
		Total	**27,46,214**
11	**School of Library and Information Sciences**	Department of Library and Information Science	12,72,200
		Total	**12,72,200**
12	**School of Journalism and Media Studies**	Department of Journalism	12,00,000
		Department of Media Studies	
		Total	**12,00,000**
13	**School of Law**	Department of Civil Law	19,50,000
		Department of Criminal Law	
		Department of Human rights and Legal Affairs	
		Total	**19,50,000**
14	**School of Earth and**	Department of Geology	12,50,000
		Department of Forestry and Env. Science	28,00,000

Finance Control...
Uttarakhand Open Univer...

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

	Environmental Science	Department of Geography and Natural Resource Management	17,00,000
		Department of Remote Sensing and GIS	48,00,000
Total			**1,05,50,000**
GRAND TOTAL			**6,70,30,664**

समिति से अनुरोध है कि उपर्युक्त आगामी आय–व्यय विवरण को पारित करने का कष्ट करें। इसके साथ ही अत्यावश्यक कार्यों के लिए शासन से अनुदान प्राप्त होने की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय को स्वयं की आय के स्रोतों से व्यय किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान करने का कष्ट करें। उक्त दशा में अनुदान प्राप्त होने के उपरान्त वास्तविक व्यय की गयी धनराशि को संबंधित उचित मदों के सापेक्ष समायोजित कर दिया जायेगा एवं वास्तविक आय–व्यय की स्थिति से समिति को आगामी बैठक में अवगत कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्वयं के स्रोतों से होने वाली आय के सापेक्ष बजट सीमा अन्तर्गत कार्यों की वित्तीय स्वीकृति एवं आवश्यकतानुसार एक मद से दूसरे मद में पुनर्विनियोग वित्त नियंत्रक की संस्तुति पर मा0 कुलपति जी के अनुमोदन उपरान्त किया जा सकेगा। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– *उपरोक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति पर संतुष्टि प्रकट करते हुए सहमति प्रदान की गई।*

मद संख्या 19:05– विश्वविद्यालय कार्यों हेतु स्वयं के वाहन से यात्रा करने के नियमों में शिथिलीकरण किये जाने पर विचार।

वित्त समिति की 16वीं बैठक के मद संख्या–16.09 में विभिन्न बैठकों संगोष्ठियों/सेमिनार/कार्यशाला में उपस्थित विशेषज्ञों के यात्रा भत्ता में एकरूपता लाये जाने हेतु नीति निर्धारित की गयी थी, जिसके अनुसार विश्वविद्यालय कार्यों हेतु स्वयं वाहन यात्राओं की प्रतिपूर्ति हेतु माननीय कुलपति जी से पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है, प्रतिपूर्ति स्वयं के वाहन से यात्रा करने पर ही अनुमन्य होगी। यात्राकर्ता द्वारा अपना वाहन पंजीकरण एवं चालक लाइसेंस की छायाप्रति भी देयकों के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य है। स्व–वाहन सुविधा यात्रा समय–समय पर जारी राज्य सरकार के यात्रा नियमों के अन्तर्गत एवं विश्वविद्यालय के नियमित अधिकारियों एवं नियमित शैक्षणिक वर्ग (एकेडमिक लेवल–10 एवं इससे उच्च) हेतु ही देय है। किन्तु, कतिपय विभागों द्वारा स्वयं के वाहन से की गयी यात्रा भत्ता देयकों में यात्राकर्ता का स्वयं का वाहन न होकर किसी संबंधी के वाहन पंजीकरण प्रमाण–पत्र संलग्न किये जा रहे हैं, जिससे स्वयं के वाहन से यात्रा भुगतान के समय शासकीय एवं विश्वविद्यालय नियमों के अनुपालन में कठिनाई आती है।

कतिपय विशेषज्ञों द्वारा स्वयं के नाम पर वाहन पंजीकृत न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय गतिविधियों में सम्मिलित होने से असमर्थता प्रकट की जा रही है। अतः इस स्थिति को देखते हुए स्वयं के वाहन से यात्रा भत्ता देयकों में यात्राकर्ता द्वारा स्वयं के वाहन के पंजीकरण प्रमाण–पत्र में शिथिलीकरण प्रदान किया जाना विश्वविद्यालय हित में उचित प्रतीत होता है।

अतः समिति से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय कार्यों से स्वयं वाहन यात्राओं की प्रतिपूर्ति स्वयं एवं अन्य किसी वाहन से यात्रा करने पर भी स्वयं प्रमाणित करने पर भुगतान की अनुमति प्रदान करने पर विचार

Finance Controller
Uttarakhand Open University

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

कर लिया जाय। यात्राकर्ता द्वारा वाहन पंजीकरण एवं चालक लाइसेंस की छायाप्रति भी देयकों के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होगी। अन्य दरें व नियम यथावत रहेगें।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– *उपरिवर्णित प्रस्ताव के अनुरूप समिति द्वारा गहन चर्चा के उपरान्त स्वयं के वाहन की परिभाषा के संबंध में उचित दिशानिर्देश प्राप्त करने हेतु प्रकरण वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सन्दर्भित किये जाने की संस्तुति की गयी। शासन से दिशानिर्देश प्राप्त होने तक यथास्थिति बनी रहेगी।*

मद संख्या 19:06– वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या **I/279087/XXVII(7)/2025/E-71609** दिनांक 04.03.2025 के द्वारा लागू शासकीय दायित्वों के निर्वहन हेतु समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को हवाई यात्रा की सुविधा अनुमन्य किए जाने पर विचार।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या I/279087/XXVII(7)/2025/E-71609 दिनांक 04.03.2025 के द्वारा समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को शासकीय दायित्वों के निर्वहन हेतु केन्द्र सरकार की उड़ान योजना एवं उत्तराखण्ड राज्य सरकार की Air Connectivity Scheme के तहत हवाई यात्रा की सुविधा अनुमन्य की गई है। अतः उक्त शासनादेश को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णयः– *उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार उत्तराखण्ड शासन के प्रभावी नियमों/प्रावधानों को अंगीकार करने के लिए वित्त समिति द्वारा संस्तुति की गई, जिस पर कार्यपरिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।*

मद संख्या 19:07– वित्त विभाग (अनुभाग–7), उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या **18/XXVII(7)/18 50(14)/2017** दिनांक 23.01.2019 के द्वारा लागू यात्रा स्थानान्तरण नियमों व दरों का विश्वविद्यालय में अंगीकरण।

विश्वविद्यालय का मुख्यालय हल्द्वानी में होने के साथ–साथ संस्थान के आठ क्षेत्रीय कार्यालय पिथौरागढ़, कर्णप्रयाग, रानीखेत, हल्द्वानी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रूड़की एवं देहरादून में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त परिसर कार्यालय भी देहरादून में अवस्थित है। विश्वविद्यालय के ढांचागत प्रबंधन के लिए आवश्यकतानुसार समय–समय पर नियमित/अन्य अस्थायी कार्मिकों का स्थानान्तरण विश्वविद्यालय मुख्यालय से परिसर कार्यालय, देहरादून/क्षेत्रीय कार्यालयों में या फिर एक कार्यालय से अन्य कार्यालय में किये जाते हैं। स्थानान्तरण किये जाने की दशा में यात्रा स्थानान्तरण भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में अद्यतन विश्वविद्यालय द्वारा गठित नियमों में अस्पष्टता प्रतीत होती है। यात्रा–भत्ता नियमों में उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से स्थानान्तरण होने की दशा में वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–3 (यात्रा भत्ता नियमावली) के उपबंधों के अनुरूप वित्त विभाग (अनुभाग–7), उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 18/XXVII(7)/18-50(14)/2017, दिनांक 23.01.2019 द्वारा तथा समय–समय पर जारी आदेशों के तहत

Finance Controller
Uttarakhand Open Univers...

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

स्थानान्तरण यात्रा भत्ता नियम अंगीकार कर लागू किया जाना प्रस्तावित है। शासनादेश संख्या 18/XXVII(7)/18-50(14)/2017, दिनांक 23.01.2019 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों को सम्बोधित है। उक्त शासनादेश वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत है। विश्वविद्यालय पूर्व से ही उक्त वेतन समिति की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय के कार्मिकों को वेतन एवं भत्तों का भुगतान कर रहा है। स्थानान्तरण भत्ता/यात्रा नियम भी इसी से आच्छादित हैं। अतः उक्त शासनादेश के स्थानान्तरण यात्रा नियमों को भी विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णयः– *उक्त के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड शासन के प्रभावी नियमों/प्राविधानों को विश्वविद्यालय में लागू करने के लिए दिशा निर्देश हेतु शासन को सन्दर्भित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।*

मद संख्या 19:08– परीक्षा समिति की 19वीं बैठक, दिनांक 18.02.2025 में पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों पर विचार।

विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की 19वीं बैठक, दिनांक 18.02.2025 को आहूत की गयी थी, जिसमें पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों को परीक्षा समिति द्वारा वित्त समिति के विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु अग्रसारित किया गया है, परीक्षा समिति की संस्तुतियाँ संलग्न है। निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति का बिन्दु	परीक्षा समिति की संस्तुति	वित्त समिति का निर्णय
परीक्षा कार्यों हेतु किराये पर लिये जाने वाले वाहनों के लिए विज्ञापन निविदा (दरों की मांग के साथ ओपन टेण्डर) की प्रक्रिया के संबंध में।	परीक्षा कार्यों की महत्ता व निश्चित अवधि में आयोजन करने के दृष्टिकोण से परीक्षा कार्यों के लिए परीक्षा ड्यूटी में किराये पर लिये जाने वाले वाहनों के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत विज्ञापन निविदा (दरों की मांग के साथ ओपन टेण्डर) की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु संस्तुति की गयी है।	*समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।*
परीक्षा कार्यो के लिए उपयोग में ली जाने वाली सामग्री हेतु प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध किये जाने के संबंध में।	परीक्षा कार्यों हेतु प्रयुक्त सामग्री यथा कम्प्यूटर प्रिन्टर, कार्टेज, ओ0एम0आर0 शीट, अंकतालिका, उपाधि पत्र व उत्तरपुस्तिका आदि के लिए समय–समय पर टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कर अधिप्राप्ति की जाती है। उक्त सामग्री समय पर प्राप्त न होने से परीक्षा अनुभाग के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। परीक्षा कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई सामग्री हेतु न्यूनतम अवधि में अधिप्राप्ति की प्रक्रिया परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप की जायेगी। इस हेतु प्रतिष्ठित फर्मो का चयन कर सूचीबद्ध किया जा सकेगा।	*परीक्षा नियंत्रक की संस्तुति पर अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार निविदा केन्द्रीय क्रय समिति के माध्यम से किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।*
परीक्षा समिति की 18वीं बैठक, दिनांक 14.08.2024 के निर्णित मद संख्या 18:03 के अनुरूप निर्धारित मानकों में संशोधन।	परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु बण्डलों का संकलन, उत्तरपुस्तिकाओं का परीक्षकों को प्रेषण एवं परीक्षणोपरांत परीक्षा परिणाम घोषित होने तक समस्त उत्तरपुस्तिकाओं की छटनी कार्य हेतु विभिन्न अधिकारियों/कार्मिकों के समूह को उनकी तैनाती/नियोजन के प्रकारानुसार दायित्व दिये गये हैं।	*समिति द्वारा प्रोत्साहन राशि के प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए शेष प्रस्ताव पर हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।*

Finance Controller
Uttarakhand Open University

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

	परीक्षण अवधि के दौरान परीक्षा कण्ट्रोल रूम के लिए भी 02 तृतीय श्रेणी के कार्मिकों (परीक्षा अनुभाग) को योजित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा उत्तरपुस्तिकाओं की सुरक्षा की दृष्टिकोण से 01 सुरक्षा कार्मिक (24 घंटा) की तैनाती एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने की आवश्यकता है। **कंट्रोल रूम में तृतीय श्रेणी कर्मचारी के लिए प्रोत्साहन राशि 5000 रुपये प्रति कार्मिक दिए जाने की संस्तुति की गई है।**	

मद संख्या 19:09– **शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक स्टाफ को उच्च शैक्षिक योग्यता हेतु प्रवेश स्तर पर गैर मिश्रित वेतन वृद्धि के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी स्पष्टीकरण पर विचार।**

विश्वविद्यालय में शिक्षकों को यूजीसी विनियम 2018 के अंतर्गत उच्च शैक्षिक योग्यता हेतु प्रवेश स्तर पर गैर मिश्रित वेतन वृद्धियॉ अनुमन्य करने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 38 वीं बैठक दिनांक 04.11.2023 के प्रस्ताव संख्या 38.14 के क्रम में स्वीकृत किया गया है।

भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के सातवें वेतन आयोग संबंधी पत्रांक 1-7/ 2015/ U.II(1) दिनांक 02.11.2017 के बिन्दु संख्या 08 में वर्णित किया गया है कि **''प्रोत्साहन संरचना वेतन संरचना में ही अंतर्निहित है जिसमें एम0फिल0, या पी–एचडी0 के डिग्री धारक, सी.ए0एस0 (CAS) के तहत तेजी से प्रगति कर सकेंगे। इसलिए, एम0फिल0 या पी–एच0डी0 की डिग्री प्राप्त करने के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि के रूप में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।''** इसे राज्य शासन द्वारा भी यथावत् अपनाया गया है।

इस संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक F.16-1/2023(CU)/128114, दिनांक 10.02.2025 के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्पष्टीकरण जारी कर निर्देश दिये गये हैं कि–समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय, किसी भी ऑडिट आपत्ति से बचने के लिए शिक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 02.11.2017 में जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक स्टाफ को सातवां वेतन आयोग लागू होने की तिथि के पश्चात् गैर मिश्रित वेतन वृद्धि दिया जाना नियमानुसार संभव नहीं है।

उक्तानुसार प्रस्ताव वित्त समिति के विचारार्थ एवं कार्यपरिषद की आगामी बैठक में पुनर्विचार हेतु संस्तुत किया जाना उचित होगा।

निर्णयः– *समिति द्वारा भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के सातवें वेतन आयोग संबंधी पत्र के पैरा 8 व इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक **F.16-1/2023(CU) /128114,** दिनांक 10.02.2025 के द्वारा जारी स्पष्टीकरण का अनुपालन किये जाने तथा शासन से स्पष्ट दिशानिर्देश प्राप्त होने तक कार्यपरिषद के निर्णय को स्थगित रखने पर सहमति प्रदान की गयी।*

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 19:10– सहायक प्राध्यापक (ए0सी0) को दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से मानदेय वृद्धि का एरियर दिये जाने संबंधी प्रत्यावेदन पर विचार।

विभिन्न सहायक प्राध्यापक (ए0सी0) ने अपने प्रत्यावेदन में एक वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर मानदेय वृद्धि का एरियर दिये जाने का अनुरोध किया है। सहायक प्राध्यापक (ए.सी.) ने अवगत कराया है कि उनकी नियुक्ति 01 अप्रैल 2021 को हुई थी तथा एक वर्ष पूर्ण होने पर उनका मानदेय 01 अप्रैल 2022 से बढ़ाया जाना था, किन्तु उनका मानदेय 01 जनवरी 2023 से बढ़ाया गया है। अतः सहायक प्राध्यापकों ने 01 जनवरी 2023 से बढ़े मानदेय का एरियर 01 अप्रैल 2022 से दिये जाने की मांग की है।

वित्त समिति की 14वीं बैठक में केवल यू0सी0जी0 की सेवा–शर्तो एवं अर्हताओं को पूर्ण करने वाले सहायक प्राध्यापक (ए0सी0) को उनकी शैक्षिक अर्हता के आधार पर प्रथम वर्ष में धनराशि रू0 25000/– का मानदेय तथा केवल यू0जी0सी0 की सेवा शर्तों एवं अर्हताओं को पूरा करने वाले अकादमिक परामर्शदाताओं/एसोसिएटस की appraisal रिपोर्ट संतोषजनक होने के आधार पर एक वर्ष पश्चात नियोजन में धनराशि रू0 35000/– दिये जाने पर संस्तुति की गयी थी।

वित्त समिति की 16वीं बैठक दिनांक 26.12.2022 के मद संख्या–16.17 में कुलपति जी की अनुमति से अन्य प्रस्ताव में सहायक प्राध्यापक (ए0सी0) के मानदेय वृद्धि प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा संस्तुति दी गयी कि सीका के मूल्यांकन उपरान्त ही उक्त सहायक प्राध्यापकों को मानदेय वृद्धि होगी। सीका के सहायक प्राध्यापकों (ए0सी0) के मूल्यांकन रिर्पोट प्राप्त होने पर मानदेय वृद्धि राशि दिये जाने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किये जाने के प्रस्ताव पर समिति सहमत हुई तथा सीका को 15 दिन के भीतर मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा तदुपरांत कुलपति को उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया। किन्तु, समिति की संस्तुति में यह स्पष्ट नही हुआ कि उक्त कार्मिकों को मानदेय वृद्धि उनकी अर्हता तिथि से ही देय होगी अथवा कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से।

उक्त कार्मिक स्वीकृत पदों से सम्बन्धित नहीं हैं तथा उनका मानदेय विश्वविद्यालय स्त्रोतों द्वारा वहन किया जाता है। इस संबंध में यह देखा गया है कि विभिन्न कारणों से एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् मानदेय वृद्धि पर निर्णय लिए जाने में अधिक समय लगता है तथा इस अवधि में कार्मिकों को आर्थिक हानि होती है। अतः प्रशासकीय सुविधा एवं कार्मिकों के हित में अन्य शर्तें पूर्ण होने पर एक वर्ष पूर्ण होने की तिथि को ही मानदेय वृद्धि के लिए प्रभावी तिथि के रूप में मान्य किया जाना उचित होगा।

अतः वर्तमान में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में मानदेय का एरियर दिये जाने एवं मानदेय वृद्धि की प्रभावी तिथि कार्मिकों की अर्हता तिथि से अनुमन्य किए जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– *समिति द्वारा प्रस्ताव पर यथास्थिति बनाए रखने एवं भविष्य में मूल्यांकन एवं मानदेय वृद्धि की प्रक्रिया पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने की संस्तुति की गई तथा कार्यपरिषद से निर्णय लेने की अपेक्षा की गई।*

मद संख्या 19:11–उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में शिक्षा, शोध एवं नवाचार केन्द्र (Education, Research and Innovation Centre) की स्थापना हेतु प्रस्ताव पर विचार।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में रुपये 2000 लाख की लागत से **शिक्षा, शोध एवं नवाचार केन्द्र (Education, Research and Innovation Centre)** की स्थापना हेतु प्रस्ताव है। उक्त प्रस्ताव के आधार पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कार्मिकों एवं छात्र–छात्राओं तथा कुमाऊं क्षेत्र के समस्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों

Finance Controller
Uttarakhand Open University

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

के छात्रों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दक्षता बढ़ाने एवं शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उक्त केन्द्र की स्थापना राज्य एवं विश्वविद्यालय हित में आवश्यक है।

प्रस्तावित सुविधाएंः–

- केन्द्रीय पुस्तकालय भवन (ई–ग्रन्थालय के साथ)
- ई0एम0पी0सी0 **(Electronic Media Production Centre)**
- कम्युनिटी रेडियो भवन ।

चूंकि उक्त प्रस्ताव रूपये 1.00 करोड़ से अधिक है अतः इस संबंध में शासनादेश संख्या 919/**XXIV-C-1/2024-04(22)/2023(E-64259)** दिनांक 18 दिसंबर 2024 के अनुरूप वित्त समिति एवं कार्यपरिषद के अनुमोदन उपरान्त शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव हेतु बजट की उपलब्धता यथासंभव शासन से नियमित बजट अथवा विशेष अनुदान/योजना से की जानी प्रस्तावित है परन्तु आवश्यकता होने पर प्रस्तावित योजना की 50 प्रतिशत धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं के स्रोतों से भी उपलब्ध की जा सकती है।

प्रस्ताव वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– *समिति ने प्रस्तावित केंद्र का नाम परिवर्तित कर "शिक्षा, शोध, इनक्यूबेशन एवं नवाचार केन्द्र* ***(Education, Research, Incubation and Innovation Centre)"*** *रखने का सुझाव दिया। इसके साथ ही समिति ने उक्त केंद्र की स्थापना को मा. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एकलव्य पीठ की स्थापना की घोषणा के अन्तर्गत ही सम्मिलित करने का भी सुझाव दिया।*

समिति ने इस संबंध में कार्यपरिषद से अनुमोदन के पश्चात् शासन से बजट की मांग किए जाने एवं अग्रेत्तर कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया।

मद संख्या 19:12– उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र देहरादून हेतु निर्माण कार्यों के प्रस्ताव पर विचार।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 07.12.2021 को जनपद देहरादून में की गयी घोषणा कि ''उत्तराखण्ड राज्य में दूरस्थ शिक्षा से संबंधित सेवाओं के प्रभावी संचालन के उद्देश्य से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केन्द्र देहरादून में स्थापित किया जायेगा'' के क्रम में शासनादेश संख्या–घो01/**XXIV-C-1/2025-09(02)/2024** दिनांक 24 फरवरी, 2025 द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र देहरादून हेतु रुपये 2500 लाख की लागत से निम्नानुसार निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं–

- आदर्श अध्ययन केन्द्र देहरादून हेतु भवन निर्माण
- क्षेत्रीय केन्द्र हेतु भवन निर्माण
- क्षेत्रीय केन्द्र देहरादून हेतु परीक्षा भवन का निर्माण

चूंकि उक्त प्रस्ताव रूपये 1.00 करोड़ से अधिक है अतः इस संबंध में शासनादेश संख्या 919/**XXIV-C-1/2024-04(22)/2023(E-64259)** दिनांक 18 दिसंबर 2024 के अनुरूप वित्त समिति एवं कार्यपरिषद के अनुमोदन उपरान्त शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव हेतु बजट की उपलब्धता यथासंभव शासन से नियमित बजट अथवा विशेष अनुदान/योजना से की जानी प्रस्तावित है परन्तु

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

आवश्यकता होने पर प्रस्तावित योजना की 50 प्रतिशत धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं के स्रोतों से भी उपलब्ध की जा सकती है।

प्रस्ताव वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– *प्रस्ताव पर यथावत सहमति प्रदान की गयी।*

मद संख्या 19:13– उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय परिसर में पार्किंग के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की वर्तमान पार्किंग में स्थान कम होने के कारण परिसर के पार्श्व भाग में रुपये 50 लाख की लागत से नवीन पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित है।

उपरोक्त कार्य स्वयं के स्त्रोतों से प्राप्त आय से किये जाने प्रस्तावित हैं। अतः शासनादेश संख्या 919/XXIV-C-1/2024-04(22)/2023(E-64259) दिनांक 18 दिसंबर 2024 के अनुसार वित्त समिति एवं कार्यपरिषद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– *प्रस्ताव पर यथावत सहमति प्रदान की गयी।*

मद संख्या 19:14– विश्वविद्यालय निधि के उचित प्रबन्धन हेतु प्रस्ताव पर विचार।

दिनांक–18/12/2024 को सचिव, उच्च शिक्षा महोदय द्वारा बजट समीक्षा बैठक के दौरान विश्वविद्यालय निधि के उचित प्रबन्धन हेतु आर0बी0आई0 द्वारा निर्धारित **Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs)** में ही निधियों का निवेश किये जाने के मौखिक निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त महालेखाकार उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक–12/12/2024 से 24/12/2024 तक भेजे गये लेखा संपरीक्षा दल द्वारा भी विश्वविद्यालय निधि का उचित प्रबन्धन न होने पर आपत्ति उठायी गयी है।

इस संबंध में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–14/XXIV-C-1/2025-12(02)2025 दिनांक–28 जनवरी 2025 द्वारा शासन स्तर से ही वित्तीय प्रबंधन एवं संबंधित बैंकिंग सेवाओं हेतु इम्पैनल किये जाने हेतु **Expression of interest** आमंत्रित किया गया है।

अतः विश्वविद्यालय निधि के उचित प्रबन्धन हेतु समग्र नीति बनाया जाना प्रस्तावित है। समग्र नीति बनाये जाने तक आर0बी0आई0 द्वारा निर्धारित **Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs)** में अस्थाई व्यवस्था के तौर पर वित्तीय वर्ष 2024–25 में 03 माह हेतु रू0 15–15 करोड़ की 03 एफ0डी0 के रूप में निवेश किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी समय–समय पर अलग–अलग बैंकों में लगभग रू0 68 करोड़ एफ0डी0 के रूप में निवेशित हैं।

उक्त के दृष्टिगत शासन स्तर से बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक नामित किये जाने तक वर्तमान एफ0डी0 के विस्तार अथवा नयी एफ0डी0 बनाये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– *इस संबंध में शासन द्वारा विभिन्न बैंकों से Expression of Interest मांगे गए हैं। जिस पर शीघ्र निर्णय होने की संभावना है। अतः प्रस्ताव कार्यपरिषद में प्रस्तुत करने तथा शासन स्तर से बैंक इम्पैनल किये जाने तक वर्तमान एफ0डी0 के विस्तार की अनुमति दी गयी।*

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

मद संख्या 19:15– वित्तीय वर्ष 2023–2024 के वार्षिक लेखों का अवलोकन एवं अनुमोदन।

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा तैयार वार्षिक लेखे अवलोकन हेतु संलग्न है।

वित्त समिति के समक्ष वित्तीय वर्ष 2023–2024 के वार्षिक लेखे अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– *समिति द्वारा वार्षिक लेखों का अवलोकन कर संतुष्टि व्यक्त करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।*

मद संख्या 19:16– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव–

(क)– वीडियो एडिटर और कैमरामैन के मानदेय वृद्धि पर विचार।

विश्वविद्यालय में कार्यरत श्री हरीश गोयल, वीडियो एडिटर एवं श्री विभू काण्डपाल, कैमरामैन के मानदेय वृद्धि हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों यथा IGNOU नई दिल्ली एवं कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में वीडियो एडिटर और कैमरामैन के मानदेय एवं शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हताओं से अवगत कराया गया है (संलग्नक)।

विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ करने लिए ऑनलाइन अध्ययन हेतु विभिन्न व्याख्यानों को सतत रूप से रिकार्ड करना एवं उनको उचित माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में अवस्थित छात्रों तक पहुँचाने में वीडियो एडिटर एवं कैमरामैन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ई0एम0पी0सी0 द्वारा विभिन्न बाह्य संस्थाओं के व्याख्यानों को भी तैयार किया जाता है, जिससे विश्वविद्यालय को समय–समय पर आय का भी अर्जन होता है।

EMPC द्वारा सभी विषयों के लगभग 1000 से अधिक वीडियो व्याख्यान तैयार कर विश्वविद्यालय के आधिकारिक यूट्यूब चैनल uoulive के माध्यम से शिक्षार्थियों पहुंचाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वयं पोर्टल के लिए लगभग 200 से अधिक एवं स्वयंप्रभा (DTH) चैनल के लिए 250 से अधिक वीडियो व्याख्यान तैयार किये जा चुके है।

प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– *समिति द्वारा मानदेय वृद्धि के संबंध में समस्त प्रकरणों पर माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने तथा उसके द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।*

(ख)– श्री विनोद कुमार बिरखानी एवं अन्य प्रशासनिक परामर्शदाताओं के मानदेय में वृद्धि एवं एकरूपता लाये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

प्रस्ताव में विश्वविद्यालय में कार्यरत श्री विनोद कुमार बिरखानी एवं अन्य प्रशासनिक/तकनीकी परामर्शदाताओं के मानदेय में वृद्धि किये जाने एवं एकरूपता लाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। विश्वविद्यालय वित्त समिति की 13वीं बैठक दिनांक 10.02.2020, 15वीं बैठक दिनांक 26.03.2022 एवं 17वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 में परामर्शदाताओं के मानदेय में वृद्धि की गयी है।

अतः प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– *समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मानदेय विसंगति प्रकरण पर मा. कुलपति महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति विचार करेगी। उक्त समिति की संस्तुति को कार्यपरिषद में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।*

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

(ग)– विशेष श्रेणी के कार्यक्रमों (कौशल पाठ्यक्रम) के लिए प्राप्त शुल्क में से अध्ययन केंद्र के अंश के वितरण का प्रस्ताव :–

कौशल कार्यक्रम संचालन तंत्र की मुख्य विशेषताएं–

- **संपर्क घंटों में वृद्धि:–** कौशल–आधारित कार्यक्रमों में, प्रत्येक क्रेडिट में 30 घंटे की काउंसलिंग प्रशिक्षण प्रयोगशाला व्यक्तिगत कक्षाएं शामिल होती हैं, जबकि पारंपरिक यूजी कार्यक्रमों में प्रति क्रेडिट संपर्क सत्र में केवल 3 घंटे की आवश्यकता होती है।
- **उच्च निर्देशात्मक भार:–** NSQF संरेखित 20–क्रेडिट कौशल–आधारित कार्यक्रम (एक सेमेस्टर के समरूप) के लिए 600 घंटे के निर्देशात्मक संपर्क की आवश्यकता होती है।
- **बुनियादी ढांचे की लागत:–** पारंपरिक पाठ्यक्रमों के विपरीत, कौशल–आधारित कार्यक्रमों के लिए एलएससी में विशेष प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण सुविधाओं की आवश्यकता होती है।
- **स्व–निर्देशात्मक शिक्षण सामग्री (SILM) पर बचत:–** कौशल–आधारित कार्यक्रमों के लिए SILM प्रदान नहीं किए जाते हैं, इसलिए SILM के मुद्रण और विकास के मामले में विश्वविद्यालय के लिए लागत बचत होती है।

प्रस्तावित राजस्व वितरण मॉडल– वर्तमान में व्यावसायिक, विज्ञान और प्रयोगशाला आधारित कार्यक्रम प्रदान करने वाले अध्ययन केंद्र को कार्यक्रम शुल्क का 25% भाग प्राप्त होता है।

यह प्रस्तावित है कि NSQF संरेखित कौशल–आधारित कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले LSCs को कार्यक्रम शुल्क का 50% हिस्सा (अवसंरचना, प्रशिक्षण वितरण, छात्र सहायता सेवाएँ, कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले डोमेन विशेषज्ञों के लिए पारिश्रमिक आदि पर व्यय हेतु) एवं विश्वविद्यालय को कार्यक्रम शुल्क का 50% (प्रशासनिक व्यय, प्रचार गतिविधियाँ, तकनीकी सहायता, पाठ्यक्रम निगरानी और अप्रत्याशित व्यय हेतु) दिया जाए।

मूल्यांकन व्यय शुल्क विशेष श्रेणी के कार्यक्रमों (कौशल पाठ्यक्रम) के संदर्भ में मूल्यांकन व्यय परीक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के मामले में इसे वास्तविक आधार पर शुल्क शीर्ष मूल्यांकन परीक्षा शुल्क से मूल्यांकन एजेंसी को हस्तांतरित किया जाएगा। विभिन्न NSQF संरेखित कौशल पाठ्यक्रमों के लिए मूल्यांकन शुल्क भिन्न–भिन्न हो सकता है, वर्तमान में यह 1000 रुपये है।

प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– *इस संबंध में समिति द्वारा कुलपति स्तर पर एक समिति गठित करने का संस्तुति प्रदान की गयी। समिति की संस्तुतियों को आगामी कार्यपरिषद में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।*

(घ)– विश्वविद्यालय में कार्यरत सुरक्षा कार्मिकों को परीक्षा कार्यों हेतु दी जाने वाली विशेष प्रोत्साहन राशि की दरों में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

परीक्षा अवधि में सुरक्षा कार्मिकों द्वारा परीक्षा सामग्री तथा केंद्रों से प्राप्त लिखित उत्तरपुस्तिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त परीक्षा कार्यों हेतु जाने वाले वाहनों की आवाजाही एवं मीटर रीडिंग को भी दर्ज किया जाता है।

वित्त समिति की 15 वीं बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान में सुरक्षा कार्मिकों को प्रति सेमेस्टर रुपये 1000 (रुपये 2000 वार्षिक) की दर से परीक्षा कार्यों हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

Finance Controller
Uttarakhand Open University

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

इसे बढ़ाकर समूह 'ग' के कार्मिकों के समरूप रुपये 7200 प्रति सेमेस्टर की दर से प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– *समिति द्वारा सुरक्षा कार्मिकों को दी जा रही विशेष प्रोत्साहन राशि की दरों में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त करते हुए पूर्व की दरों को यथावत रखे जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।*

(ड़)– बी0एड0 (विशेष शिक्षा) के अध्ययन केन्द्र में पाठ योजना पर्यवेक्षण/मूल्यांकन हेतु पारिश्रमिक निर्धारण पर विचार।

इग्नू द्वारा बी.एड. (विशेष शिक्षा) के अध्ययन केन्द्र में पाठ योजना पर्यवेक्षण/मूल्यांकन हेतु प्रति छात्र रू0 75 का मानदेय देय है। उक्त आधार पर यह व्यवस्था विश्वविद्यालय के आदर्श अध्ययन केन्द्र में संचालित बी.एड. (विशेष शिक्षा) पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण सम्बन्धी प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए मांग की गयी है। पाठयोजना पर्यवेक्षण/मूल्यांकन मानदेय का विवरण निम्नवत् है–

पाठ योजना पर्यवेक्षण/मूल्यांकन मानदेय	एक पुस्तिका में कुल पाठ योजना	अध्ययन केन्द्रों में प्रति सेमेस्टर विद्यार्थियों की संख्या	सेमेस्टर की संख्या	प्रति सेमेस्टर व्यय भार	पाठ्यक्रम में कुल व्यय
रू0 75	20 (10 विशेष विद्यालय + 10 सामान्य विद्यालय)	440	05 (04 सेमेस्टर में पाठ योजना)	75×440×1 = 33000	75×440×4 = 1,32,000

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों के दृष्टिगत इग्नू द्वारा निर्धारित दरों पर पाठ योजना पर्यवेक्षण/मूल्यांकन मानदेय प्रति छात्र रू0 75 किये जाने का प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– *समिति ने सर्वसम्मति से अगले सत्र से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी. एड.* ***(ODL)*** *पाठ्यक्रम की ही तरह शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा के द्वारा संचालित तथा* ***RCI*** *एवं* ***NCTE*** *से मान्यता प्राप्त समस्त पाठ्यक्रमों हेतु मानदेय में एकरूपता बनाए रखने पर सहमति प्रदान की। प्रस्ताव पर कार्यपरिषद से निर्णय लेने की अपेक्षा की गई।*

(च) विश्वविद्यालय सभागार में फर्नीचर आदि की व्यवस्था व सुचारू रूप से संचालन के लिए कार्यों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पर विचार।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में दिनांक 9–11 जून 2025 को अर्थशास्त्र विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु विश्वविद्यालय सभागार में फर्नीचर एवं अन्य व्यवस्थाएं किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में सभागार में पर्याप्त फर्नीचर आदि व्यवस्थाएं न होने के कारण किसी भी आयोजन हेतु किराए पर व्यवस्थाएं करनी होती हैं जो कदापि उचित नहीं है।

उक्त कार्य विश्वविद्यालय के स्वयं के स्रोतों से कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय– *समिति ने आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त कार्य को अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार निर्धारित बजट सीमा के अंतर्गत कराए जाने पर सहमति प्रदान की।*

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

अंत में सचिव, वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

सचिव, वित्त समिति
Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)

अध्यक्ष, वित्त समिति
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)